an>

Title: Regarding shortfall of IAS officers in Haryana due to retirements.

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): सभापति महोदय, धन्यवाद। हाल ही में हरियाणा सरका ने भारत सरकार को एक दरख्वास्त भेजी थी कि वर्ष 2022 में करीब 11 वरि आईएएस अधिकारी इकट्ठे एक साल में रिटायर हो रहे हैं, जिससे प्रदेश अधिकारियों की संख्या कम हो जाएगी और जिस वजह से प्रशासनिक कार्यों में बाध आएगी। तीन अफसरों के सेवा विस्तार के लिए केस भी भेजा गया था, जिस पर केन्र सरकार ने अपनी कोई संस्तुति नहीं दी थी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि आम तौर प प्रदेश सरकारों का यह मत रहता है कि उनके पास अधिकारियों की कमी है, लेकि सच बात यह है कि शायद यह ठीक नहीं है। मैं हरियाणा का ही उदाहरण दूंगा। ज एपेक्स स्केल है और उसके बाद सुपर टाइम स्केल से ऊपर का स्केल है, उस करीब 2 प्रतिशत और 8 प्रतिशत, जो टोटल कैडर स्ट्रैंथ होती है, उसके अनुसा अधिकारी होने चाहिए। हरियाणा में अकेले एपेक्स स्केल में 16 अधिकारी हैं औ आज के दिन कैडर स्ट्रैंथ 170 के आस-पास है। अगर हम सुपर टाइम स्केल से ऊप की बात करें तो कुल मिलाकर 30 से ज्यादा अधिकारी हैं। इसलिए किसी प्रकार क कोई कमी नहीं है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चाहे यह मामला केन्द्र का ह या प्रदेश का हो, यह जो सेवा विस्तार का सिलसिला है, अगर इसको हम खत्म न भ कर सकें तो कम से कम यह बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर रहना चाहिए, क्योंकि इस आने वाले अधिकारी हतोत्साहित होते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि प्रदेश में य केन्द्र में शायद उनके काम की उतनी अहमियत नहीं, जितनी उनके सीनियर्स की है

केन्द्र सरकार ने पिछले साल एक आदेश पारित किया था कि जो सेन्ट्र डेपुटेशन रिजर्व है, उसमें स्टेट्स की जो ऑब्लिगेशन है, उसमें बहुत गिरावट आ है। सरकार ने यह निर्णय किया था कि आने वाले समय में जब किसी भी प्रदेश अधिकारियों को सेन्ट्रल डेपुटेशन पर मांगा जाएगा तो उसमें स्टेट की या अधिका की कन्सेंट हो या न हो, लेकिन उस पर केन्द्र का मत ओवरराइड करेगा। मैं आप

सामने थोड़ा सा आँकड़ा रखना चाहूंगा। वर्ष 2011 में जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे स्तर
309 अधिकारी थे और वर्ष 2022 में यह घटकर 223 रह गए थे, जबकि डिप्टी सेक्रेट
और डायरेक्ट लेवल के जो आईएएस अधिकारी हैं, जिनका स्केल उस लेवल का
उनकी संख्या वर्ष 2014 में 621 से बढ़कर वर्ष 2021 में 1130 हो गई थी। उस
बावजूद यह ड्रॉप है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध रहेगा कि से
विस्तार के सिलसिले को ज्यादा प्रोत्साहित न किया जाए और दूसरा, सरकार ने
निर्णय पिछले साल लिया था, उसके तहत केन्द्र में यह जो शॉर्टफॉल है, उसको पू
किया जाए।

माननीय सभापति: श्री रवनीत सिंह जी - उपस्थित नहीं।

डॉ. संजय जायसवाल - उपस्थित नहीं।

श्री सु. थिरुनवुक्करासर - उपस्थित नहीं।

श्री प्रतापराव जाधव - उपस्थित नहीं।

सुश्री मिमी चक्रवर्ती.